मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२३

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, २०२३

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २००३ का संख्यांक ३४ का संशोधन.

३. धारा ३ का संशोधन.

४. धारा ४क का अन्तःस्थापन.

५. धारा १२ का संशोधन.

६. धारा १३क का अन्तःस्थापन.

७. धारा २१क का अन्तःस्थापन.

८. धारा २७क का अन्तःस्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ७ सन् २०२३

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम, २०२३ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २००३ का संख्यांक ३४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३ (२००३ का ३४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(ग क) "स्थापना" से अभिप्रेत है, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय या लोक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान और इसमें ऐसी प्रकृति की अन्य स्थापना सम्मिलित है जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा घोषित करे;";

(दो) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ क) "हुक्का बार" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जहां लोग सामुदायिक हुक्का या नारगिल से तंबाकू या अन्य समरूप उत्पादों से धूम्रपान करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जो कि एकल रूप से या संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है;".

धारा ४क का अन्त:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

हुक्का बार का प्रतिषेध.

"४क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी स्थान पर भोजनालय को सम्मिलित करते हुए, हुक्का बार नहीं खोलेगा या नहीं चलाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द "भोजनालय" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जहां आगन्तुकों के लिए किसी प्रकार का भोजन या जलपान उपलब्ध कराया जाता है या उसमें उपभोग के लिए बेचा जाता है.".

धारा १२ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्ध विराम और शब्द ''या'' स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ग) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है.''.

धारा १३क का अन्तःस्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

हुक्का बार की सामग्री या वस्तु के अभिग्रहण की शक्ति.

''१३क. यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी श्रेणी का अधिकारी हो, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ४क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह हुक्का बार की विषयवस्तु या साधन के रूप में उपयोग की गई किसी सामग्री या वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा.''.

धारा २१क का अन्तःस्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड.

''२१क. जो कोई धारा ४क के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा किन्तु एक वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा किन्तु जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा.''.

धारा २७क का अन्तःस्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ४क के अधीन अपराध का संज्ञेय होना.

''२७क. धारा ४क के अधीन अपराध संज्ञेय होगा.''.

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन

हुक्का में तम्बाकू एवं अन्य पदार्थों को भरा जाता है, जिससे कई हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं, जिनका सेवन लोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है. इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि हुक्का बार में अवयस्क लड़के और लड़कियां भी उपस्थित रहते हैं और हुक्का पीते हैं. यह भी अनुभव किया गया है कि हुक्का बार में नशा करने के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद होते रहते हैं. इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में हुक्का बार आपराधिक गतिविधियों का केन्द्र भी पाया गया है. अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

२. दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा १४४ के अधीन आदेश द्वारा वर्ष २०२१ में हुक्का बार बंद करने का प्रयास किया गया था. इस प्रकार से लंबे समय तक हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है. अतएव, मध्यप्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३ (२००३ का ३४) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है. अतः विधेयक में निम्नलिखित उपबंध प्रस्तावित हैं:—

(१) हुक्का बार पर प्रतिबंध लगना चाहिए.
(२) हुक्का बार चलाने पर कारावास व जुर्माना.
(३) अपराध संज्ञेय होगा.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १२ जून, २०२३.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३ (२००३ का ३४) से उद्धरण.

*　　*　　*　　*　　*

धारा ३-(क) ''विज्ञापन'' के अंतर्गत सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज द्वारा कोई दृश्यरूपण है और इसके अंतर्गत मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि, धूम्र या गैस प्रस्तुत करने या पारेषण के किसी माध्यम द्वारा की गई कोई घोषणा भी है:

(ख) ''सिगरेट'' के अंतर्गत—

(i) किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तंबाकू न हो, लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल है:

(ii) तंबाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल, जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तंबाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है. किन्तु इसके अंतर्गत बीड़ी, चुरुट और सिगार नहीं है,

(ग) ''वितरण'' के अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण भी है चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा,

(घ) ''निर्यात से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;

(ङ) ''विदेशी भाषा'' से ऐसी भाषा अभिप्रेत है जो कोई भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं है,

*　　*　　*　　*　　*

धारा ४. कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा:

परंतु किसी ऐसे होटल में जिसमें ३० कमरे हो या किसी रेस्तरां में जिसमें ३० या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और विमानपत्तनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी.

*　　*　　*　　*　　*

धारा १२. (१) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या औषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो विहित रीति में किसी युक्तियुक्त समय पर, किसी ऐसे कारखाने, भवन, कारवार परिसर या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा,—

(क) जहां सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद में कोई व्यापार या वाणिज्य चलाया जा रहा है या सिगरेट अथवा किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण किया जा रहा है, या

(ख) जहां सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन किया गया है या किया जा रहा है.

*　　*　　*　　*　　*